

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 318/13

संस्थित दिनांक-13.06.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

भगवानस्वरूप पुत्र कप्तानप्रसाद शर्मा उम्र 43 साल
निवासी ग्राम चम्हेडी हाल सिंहपुर रोड निबुआपुरा
मुरार, थाना मुरार जिला ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 29.01.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.05.13 को सुबह 9 बजे या उसके लगभग ग्राम चम्हेडी स्थित फरियादी के मकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में फरियादी जयनारायण शर्मा के आधिपत्य के टेक्टर क्रमांक एम०पी० 30 एम०ए०-0221 फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2. यह तथ्य स्वीकृत है कि अभियुक्त और फरियादी जयनारायण सगे भाई हैं।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी जयनारायण के स्वामित्व का एक टेक्टर क्रमांक एम०पी० 30 एम०ए०-0221 फार्म ट्रैक था। दिनांक 09.05.13 को सुबह करीब 9 बजे अपने घर के दरवाजे पर उसे खड़ा करके शौच करने के लिए बाहर चला गया था, तभी उसे टेक्टर स्टार्ट होने की आवाज आई तो उसने दौड़कर जाकर देखा कि उसका भाई अभियुक्त भगवान स्वरूप बिना उसकी मर्जी के बिना बताए टेक्टर भगाकर ले जा रहा था, जिसे शंकरसिंह, पुलंदर व विक्रमसिंह ने देखा। फरियादी ने अपने रिश्तेदारों के यहां पता किया, लेकिन अभियुक्त लौटकर नहीं आया और न हीं टेक्टर वापस किया। उक्त आशय की लिखित शिकायत से बाद जांच दि० 13.05.13 को थाना मौ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। जब्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये, साक्षियों के कथन लेख किये गये। बाद अनुसंधार अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.05.13 को सुबह 9 बजे या उसके लगभग ग्राम चम्हेडी स्थित फरियादी के मकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में फरियादी जयनारायण शर्मा के आधिपत्य के टेक्टर क्रमांक एम0पी0 30 एम0ए0-0221 फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जयनारायण अ0सा0 1, विक्रमसिंह अ0सा0 2, पुलंदर अ0सा0 3, गजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 शंकरसिंह अ0सा0 5, रामनरेश अ0सा0 6, सतीश अ0सा0 7, दिनेश सिंह बैस अ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य में संतोष ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

--:: विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष ::--

7. फरियादी जयनारायण शर्मा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना मई -13 की सुबह 9 बजे की बात है। उसका भाई अभियुक्त भगवानस्वरूप टेक्टर उठाकर ले गया था। यह कथन करता है कि वह शौच करके आ रहा था। अभियुक्त उसका टेक्टर चुराने की नियत से ले जा रहा था। जब उसने कहाकि रूको-रूको तो आरोपी नहीं रूका और टेक्टर लेकर चला गया। घटना के समय विक्रमसिंह, पुलंदर व शंकर के द्वारा घटना देखने का कथन करता है। उक्त टेक्टर साडे चार लाख रुपये का होना बताते हुए कथित टेक्टर उसका होने का कथन करता है। प्र0पी0 1 का लिखित आवेदन और रिपोर्ट प्र0पी0 2 में अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, किन्तु साक्ष्य में इस तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करता है कि उसने प्र0पी0 1 पर क्यों हस्ताक्षर किए थे। उक्त चोरी हुआ टेक्टर फार्म ट्रैक 60 एस्कार्ट कंपनी का नीले रंग का होना बताता है।

8. घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में विक्रमसिंह अ0सा0 2 प्रस्तुत किए गए, जो घटना दिनांक 09.05.13 को सुबह 9 बजे दुकान के बाहर खड़े होने का कथन करते हुए अभियुक्त भगवान स्वरूप द्वारा फार्म ट्रैक टेक्टर 60 नीले रंग का ले जाने एवं उक्त टेक्टर फरियादी जयनारायण के होने तथा चोरी की नियत से टेक्टर ले जाने का कथन करते हैं। जबकि अन्य अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी पुलंदर अ0सा0 3 एवं शंकरसिंह अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करते हैं। पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी ये साक्षी अभियुक्त भगवान स्वरूप द्वारा टेक्टर चोरी करने के संबंध में अभियोजन के सुझाव से इंकार करते हैं। गजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 को भी अभियोजन ने प्रस्तुत किया, वह भी पक्षविरोधी हो गया।

9. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि अभियुक्त एवं फरियादी सगे भाई हैं। जयनारायण अ०सा० 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताते हैं कि वे पांच भाई हैं जिनके नाम क्रमशः जयनारायण स्वयं, रामौतार, रामनरेश, भगवानसिंह तथा कमलकिशोर हैं। विक्रमसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में उक्त संबंध स्वीकार करते हैं। पुलंदरसिंह अ०सा० 3, गजेन्द्र अ०सा० 4, शंकर अ०सा० 5, रामनरेश अ०सा० 6, सतीश अ०सा० 7 तथा स्वयं अनुसंधानकर्ता दिनेशसिंह वैस अ०सा० 8 अभिसाक्ष्य में फरियादी जयनारायण एवं अभियुक्त भगवान स्वरूप के सगे भाई होने की पुष्टि करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि कथित टेक्टर फार्म ट्रैक 60 संयुक्त रूप से सभी भाईयों द्वारा कय किया गया था और संयुक्त खेती की जाती थी, किन्तु बंटवारे में जब अभियुक्त को उक्त टेक्टर मिल गया और अभियुक्त ने अपने नाम कराने को कहा तो फरियादी ने झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है। उक्त तथ्य के संबंध में जयनारायण अ०सा० 1 एवं विक्रम अ०सा० 2 को प्रतिपरीक्षण में सुझाव भी दिए गए। इसके अतिरिक्त संतोष शर्मा ब०सा० 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि फरियादी एवं अभियुक्त का भतीजा होना बताता है और बंटवारे में कथित टेक्टर भगवान स्वरूप को हिस्से में मिलने तथा टेक्टर शामिलाली खरीदे जाने के संबंध में कथन करते हैं।

10. प्रकरण में फरियादी जयनारायण इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि उनके पिता की मृत्यु के बाद पांचों भाईयों के नाम भूमि दर्ज हुई और पांचों भाईयों की सम्मिलित खेती हुई। साक्षी कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि साक्ष्य दिनांक को भी उनका सम्मिलित खाता है और साक्ष्य दिनांक तक खेती का बंटवारा नहीं हुआ, केवल घरोवा (घरेलू रूप से) खेत बंटे हैं। साक्षी कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसका घर बंटवारा 2004 में हो गया और सन 2004 में भाड़े पर खेती करता था और अन्य भाई भी भाड़े पर खेती कराते थे। साक्षी कण्डिका 4 में घर बंटवारा 2013 में होने के तथ्य से इंकार न करते हुए कथन करता है कि "मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों का घर बंटवारा वर्ष 2013 में हुआ, स्वतः कहा कि हम तो वर्ष 2004 से ही अलग अलग खेती कर रहे हैं"। साक्षी कण्डिका 7 में स्वीकार करता है कि पांचों भाईयों का आज तक राजस्व कागजात में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। विक्रम अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करता है कि अभियुक्त व फरियादी व उनके भाईयों के मध्य कब बंटवारा हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करता है कि फरियादी एवं अभियुक्त के पांचों भाईयों का एक ही मकान है जिसमें हिस्सा बांट है। कण्डिका 5 में यह कथन करता है कि उसने केवल बंटवारा होने की बात सुनी है। उक्त बंटवारे के संबंध में पक्षविरोधी साक्षी पुलंदर अ०सा० 3, गजेन्द्र अ०सा० 4 ने अभियुक्त एवं फरियादी के सम्मिलित होने का कथन किया है। यद्यपि साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने से अभियुक्त के पक्ष में किया गया कथन बिना किसी सारवान आधार के अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

11. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 09.05.13 की बताई गयी है जबकि घटना का आवेदन प्र०पी० 1 दिनांक 11.05.13 को प्रस्तुत किया जाना लेख है और उसके पश्चात् दिनांक 13.05.13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 लेख की गयी है। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह रिपोर्ट लिखाने उसी दिन गया था लेकिन रिपोर्ट की रसीद उसे दो दिन बाद थाने वालों ने दी। साक्षी यह भी कथन करता है कि लिखित आवेदन प्र०पी० 1 उसकी हस्तलिपि में नहीं हैं किन्तु किस व्यक्ति की हस्तलिपि में हैं, यह स्पष्ट नहीं करता है। साक्षी कण्डिका 5 में पुनः कथन करता है कि 9 तारीख को उसने मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी और उसके साथ रामनरेश व रामौतार गए थे। प्रकरण में कथित 09.05.13 की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं हैं और रामनरेश और रामौतार का न तो कथन कराया गया है और न ही प्र०पी० 1 व 2 में रामनरेश व रामौतार के साथ में जाने का कोई तथ्य लेख किया गया है।

12. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता दिनेशसिंह वैस अ०सा० 8 हैं जो कि अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 3 प्र०आर० रामकिशोर शर्मा ने बनाया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि कहां से टेक्टर चोरी हुआ था किन्तु यह बताने में अस्मर्थ है कि घटना स्थल पर किन किन के मकान हैं। साक्षी अभियुक्त से दिनांक 20.05.13 को पिपाहडा के पास उक्त टेक्टर प्र०पी० 7 के जब्ती पंचनामा के अनुसार जब्त किए जाने का कथन करते हैं। साक्षी कण्डिका 2 में यह भी बताते हैं कि उन्हें मुखबिर ने सूचना दी थी कि पिपाहडा गांव के पास टेक्टर है एवं अभियुक्त टेक्टर चलाता मिला। यहां उल्लेखनीय है कि प्र०पी० 7 की जब्ती कार्यवाही का कोई भी जब्ती स्थल के आसपास का साक्षी नहीं हैं। रामनरेश चौधरी अ०सा० 6 मेहगांव जिला भिण्ड का निवासी है जबकि सतीश शर्मा अपना पता नबादा बाग भिण्ड का बताते हैं और प्र०पी० 7 में उनका पता ग्राम पाली थाना पावई जिला भिण्ड लेख है। उक्त साक्षी अनुसंधानकर्ता प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में झांकारी के पास मिल जाने का कथन करते हैं, जबकि प्रकरण में कोई भी मुखबिर की सूचना के आधार पर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की हो तथा वापसी रोजनामचा सान्हा में उक्त जब्ती कार्यवाही का उल्लेख किया हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं। जब्ती साक्षी उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हैं।

13. प्रकरण में फरियादी जहां अपने अभिसाक्ष्य में 5 भाई होने का कथन करता है जिसमें सबसे बड़ा भाई के रूप में स्वयं को बताता है किन्तु पिता की मृत्यु 1996 में होने के उपरांत बड़े भाई के नाते परिवार के कर्ताधर्ता पुरखा अर्थात् मुखिया होने से इंकार किया है, जबकि विक्रमसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि फरियादी जयनारायण अपने भाईयों में बड़ा है और उसी का पुर्खान्त (मालिकी) रही है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि फरियादी एवं अभियुक्त पांचों भाईयों का एक ही मकान हैं और कण्डिका 5 में यह भी स्वीकार किया है कि पांचों भाईयों के

मध्य मकान व गौडा शामिल होती है उसमें उसका हिस्सा किस तरफ है वह नहीं बता सकता। कथित चोरी फरियादी ने उसके गौडा अर्थात् पशु बांधने के स्थान से होना बताई है, ऐसे में जहां सम्मिलित रूप से सम्पत्ति रखे जाने के स्थान से कोई संपत्ति हटाई जाती है तो वहां उक्त संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से हटाई गयी हो, यह साबित करना उसके आक्षेपकर्ता का दायित्व है। विक्रमसिंह अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन किया है कि उन्होंने एवं जयनारायण अर्थात् फरियादी ने टेक्टर को आगे जाकर नहीं देखा कि टेक्टर को आगे कहां किस तरफ ले गया। जयनारायण अ०सा० 1 जहां अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसने अभियुक्त को टेक्टर ले जाते समय कहा "रुको-रुको" तो आरोपी नहीं रुका और टेक्टर लेकर चला गया। जबकि उक्त तथ्य प्र०पी० 1 के आवेदन, प्र०पी० 2 की प्राथमिकी तथा पुलिस कथन में लेख नहीं हैं। ऐसे में यदि अभियुक्त कथित टेक्टर को ले भी गया तो फरियादी द्वारा उसको रोका न जाना अभियुक्त की बेईमानी पूर्ण आशय से टेक्टर हटाकर चोरी का अपराध किए जाने के आवश्यक तत्व को संदिग्ध बना देता है।

14. प्रकरण में फरियादी जयनारायण अ०सा० 1 कथित घटना दिनांक 09.05.13 को टेक्टर उसके भाई अभियुक्त भगवानस्वरूप द्वारा चुरा ले जाने का कथन करते हैं और उसी दिनांक को रामनरेश और रामौतार के साथ रिपोर्ट लिखाए जाने का कथन करते हैं, जबकि विक्रमसिंह अ०सा० 2 यह कथन करता है कि वह भी जयनारायण के साथ रिपोर्ट करने थाने पर गया था। जयनारायण बोलते गए और दीवानजी रिपोर्ट लिखते गए, रिपोर्ट लिखने के बाद एक कॉपी दीवानजी ने जयनारायण को दी थी। जबकि सर्वप्रथम तो विक्रमसिंह अ०सा० 2 के फरियादी के साथ जाने का कथन नहीं किया गया है और जयनारायण अ०सा० 1 रिपोर्ट करने के दो दिन बाद उसे उसकी प्रतिलिपि मिलने का कथन करते हैं। इस प्रकार से दोनों साक्षियों के मध्य विरोधाभास है। अन्य किसी भी साक्षी ने कथित चोरी की घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी विक्रमसिंह के कथन किए जाने का कारण प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्पष्ट होता है जिसमें साक्षी कथन करता है कि उसके फरियादी जयनारायण से तो अच्छे संबंध हैं किन्तु भगवानस्वरूप से अच्छे संबंध नहीं हैं। प्रकरण में फरियादी जयनारायण अ०सा० 1 के अभियुक्त के विरुद्ध रुचि लेने का आशय इस प्रकार से दर्शित हो जाता है क्योंकि विक्रमसिंह अ०सा० 2 की साक्ष्य फरियादी की साक्ष्य के उपरांत ली गयी, फिर भी फरियादी जयनारायण साक्षी विक्रमसिंह अ०सा० 2 को अपने साथ लाता है।

15. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रजावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त

संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 09.05.13 को सुबह 9 बजे या उसके लगभग ग्राम चम्हेडी स्थित फरियादी के मकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में फरियादी जयनारायण शर्मा के आधिपत्य के टेक्टर क्रमांक एम0पी0 30 एम0ए0-0221 फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

17. प्रकरण में जब्तशुदा टेक्टर पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

18. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश